



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / 421 / कन्या छात्रावास / 2026

भोपाल, दिनांक 17/08/2026

शैक्षणिक सत्र 2026-2027 हेतु मॉ नर्मदा कन्या छात्रावास में प्रवेश के लिए
छात्राओं की पांचवी सूची

विद्यार्थियों की पांचवी सूची जारी की जा रही है। 18 अगस्त 2026 से छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। छात्रावास में प्रवेश हेतु कार्यालयीन दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) एवं समय (प्रातः 10.00 से 5.00 तक) पर ही व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष क्रमांक 0755-2725559 पर सम्पर्क करें। छात्रावास शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20.08.2026 है।

S.N	STUDENTS NAME	FATHER NAME	COURSE	FORM NO
1.	VAISHNAVI PANDEY	SHRI DINESH KUMAR PANDEY	1 BAEJ	F26002052
2.	AKSHRA SHARMA NICHRELE	SHRI RAJENDRA NICHRELE	1 BAEJ	F26002072
3.	ANANYA	SHRI RAJESH KUMAR	1 BAJCW	F26001724
4.	ANSHIKA DIXIT	SHRI ANIL KUMAR DIXIT	1 BAEJ	F26001536
5.	SOMYA SISODIYA	SHRI NARENDRA SINGH	1 BTECHPP	BB1320990001
6.	CHHOTI KUMARI	SHRI MURARI KUMAR	1 MAMC	F26001728
7.	ANJALI YADAV	SHRI HIRA LAL YADAV	1 MAJ	F26001937
8.	NIKITA SINHA	SHRI NAVEEN KUMAR	1 MSCM	F26002135

निर्देश -

विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश के दौरान छात्रावास आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें :-

1. छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र (विश्वविद्यालय की वेबसाईड से आवेदन पत्र डाउनलोड करके चाही गई समस्त जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित करें। अभिभावक एवं स्थानीय संरक्षक की जानकारी एवं पासपोर्ट साईज फोटो अनिवार्य रूप से निर्धारित स्थान पर लगाये एवं हस्ताक्षरित कर प्रवेश के समय उपलब्ध करवाये।
2. विद्यार्थी के 3 पासपोर्ट आकार का फोटो।
3. विद्यार्थी के अभिभावक का पासपोर्ट आकार का फोटो।
4. स्थानीय अभिभावक का पासपोर्ट आकार का फोटो।
5. आधार कार्ड की फोटोकापी (विद्यार्थी, माता-पिता एवं स्थानीय अभिभावक)।
6. ऐंटी रैगिंग शपथ-पत्र (विभाग में प्रस्तुत किये गये विद्यार्थी, माता-पिता शपथ-पत्र की छायाप्रति)।
7. छात्रावास शुल्क रसीद की छायाप्रति। (छात्रावास शुल्क जमा करवाये जाने पर ही छात्रावास में कक्ष आवंटन सुनिश्चित माना जायेगा।
8. छात्रावास के नियमों-विनियमों एवं दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में माता-पिता और विद्यार्थियों का शपथ पत्र संलग्न करें।
9. 3 चाबियों वाला एक ताला।
10. यदि पूर्व से कोई गम्भीर बीमारी हुई है तो उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना है एवं बीमारी से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

(प्रो.डॉ.पी.शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव